


(भारत के राजपत्र के भाग 1खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली -110 101
दिनांक 22 जून, 2010

अधिसूचना

सं. जी.एफ. 627/पीएमएसूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय में अनुभाग अधिकारी श्री क्षितीश कुमार को प्रधानमंत्री कार्यालय में दिनांक 21 जून, 2010 से सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।



(के. सलिल कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद

प्रधान मंत्री कार्यालय

सं. जी.एफ. 627/2010 - पीएम

दिनांक 22 जून, 2010

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) के तहत श्री क्षितिज कुमार, अनुभाग अधिकारी (आरटीआई) को प्रधान मंत्री कार्यालय में सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी घोषित किया गया है।

नियमित सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के अवकाश/दौरा/प्रशिक्षण अथवा किसी अन्य कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में श्री एम. के. जायसवाल, अनुभाग अधिकारी (जनता-III) को सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।



(के. सलिल कुमार)
अवर सचिव(प्रशासन)